भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3524

21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्रतिबंधित दवाओं की आपूर्ति

3524. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश भर में अनेक प्रतिबंधित दवाओं की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार की प्रतिबंधित दवाओं की आपूर्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं कि, यदि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) दवाओं सहित किसी भी दवा के उपयोग से मानव या पशुओं को कोई खतरा होने की संभावना है या एफडीसी में निहित अवयवों का कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है तो केंद्र सरकार सार्वजनिक हित में ऐसी दवा के विनिर्माण आदि को विनियमित, प्रतिबंधित या निषिद्ध कर सकती है।

जब भी एफडीसी सहित किसी भी दवा पर ऐसी कोई चिंता की सूचना मिलती है, तो विशेषज्ञ समिति/औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) के परामर्श से मामले की जांच की जाती है और ऐसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए उचित कार्रवाई की जाती है।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत किसी भी निषिद्ध /प्रतिबंधित दवा का निर्माण, विक्रय और वितरण एक दंडनीय अपराध है और राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को इस संबंध में कार्रवाई करने का अधिकार है।

केंद्र सरकार ने एफडीसी समेत कई दवाओं के निर्माण, विक्रय या वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिनांक 07.09.2018 को जारी अधिसूचना के जरिए केंद्र सरकार ने 328 एफडीसी के निर्माण, विक्रय या वितरण पर रोक लगाई। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ 06 एफडीसी के निर्माण, विक्रय या वितरण पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने अधिसूचना का.आ. 180(अ) से का.आ.259 (अ), दिनांक 11.01.2019 के जरिए 80 एफडीसी के निर्माण, विक्रय या वितरण पर रोक लगा दी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अधिसूचना का.आ. 2394(अ) से का.आ. 2407(अ) दिनांक 02.06.2023 के जरिए 14 एफडीसी के निर्माण, विक्रय या वितरण पर रोक लगा दी। हाल ही में केंद्र सरकार ने अधिसूचना का.आ. 3285(अ) से का.आ. 3440(अ) दिनांक 02.08.2024 के द्वारा 156 एफडीसी के निर्माण, विक्रय या वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित एफडीसी की सूची सीडीएससीओ की वेबसाइट www.cdsco.gov.in पर उपलब्ध है।

हालांकि, कई बार निषेध अधिसूचना जारी होने के बाद, हितधारकों ने उन्हें न्यायालयों में चुनौती दी है और न्यायालयों ने वितरण नेटवर्क में पहले से मौजूद दवाओं के लिए अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है।

इससे पहले, सरकार ने प्रतिबंधित दवाओं के संबंध में न्यायालय के ऐसे स्थगन आदेश के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में आवेदन भी दायर किया है।

****